

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

विनोद कुमार पाठक,
सरकार के उप सचिव।

भत्यावश्यक/ ई-मेल

सेवा में,

सभी नियंत्री पदाधिकारी,
(बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्सकों के)
बिहार

पटना, दिनांक :

विषय: राज्य के प्रशासनिक हित में राज्यधीन सेवाओं की प्रोन्नति के पद सोपान में तदर्थ एवं पूर्णतः अस्थायी व्यवस्था के अन्तर्गत राज्य कर्मियों को प्रोन्नति के पदानुक्रम में विहित वेतनमान के साथ उच्चतर पद का प्रभार देने के संबंध में।

प्रसंग: विभागीय पत्रांक 550(3) दिनांक-16.09.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं0 19300/सा0प्र0, दिनांक 13.10.2023 राज्य के प्रशासनिक हित में राज्यधीन सेवाओं की प्रोन्नति के पद सोपान में तदर्थ एवं पूर्णतः अस्थायी व्यवस्था के अन्तर्गत विशेषज्ञ चिकित्सक को प्रोन्नति के पदानुक्रम में विहित वेतनमान के साथ उच्चतर पद का प्रभार दिया जाना है।

02. इस संबंध में प्रासंगिक पत्र के माध्यम से अलग-अलग जिलों एवं चिकित्सीय संस्थानों में पदस्थापित विशेषज्ञ चिकित्सकों की सूची तैयार कर विशेषज्ञ चिकित्सकों का विहित प्रपत्र (प्रासंगिक पत्र के साथ संलग्न) में वाँछित सूचनाएँ अंकित करते हुए उनका स्वहस्ताक्षरित सेवा इतिहास सहित वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (विगत पाँच वर्षों का वर्षवार अलग-अलग यथा मार्च 2020 से अद्यतन) पूर्णतः भरते हुए निर्धारित तिथि को कार्यालय के किसी जानकार लिपिक के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है।

परन्तु अद्यतन कई जिलों/संस्थानों से विहित प्रपत्र में विशेषज्ञ चिकित्सकों का वाँछित प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिसके कारण प्रोन्नति के पदानुक्रम में विहित वेतनमान के साथ उच्चतर पद का प्रभार का कार्य बाधित है।

03. अतः वर्णित स्थिति में पूनः अनुरोध है कि प्रासंगिक पत्र के साथ संलग्न सूची में अंकित विशेषज्ञ चिकित्सकों का विहित प्रपत्र में वाँछित सूचनाएँ अंकित करते हुए उनका स्वहस्ताक्षरित सेवा इतिहास सहित वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (विगत पाँच वर्षों का वर्षवार अलग-अलग यथा मार्च 2020 से अद्यतन) दिनांक-31.12.2025 तक विभाग में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। दिनांक-31.12.2025 के उपरांत उपलब्ध कराए गए वाँछित प्रतिवेदन विचार योग्य नहीं होंगे, जिसकी पूर्णतः जिम्मेवारी संबंधित नियंत्री पदाधिकारी की होगी।

04. प्रस्ताव में सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

अनुलग्नक : यथोक्त।

685(3)
02/12/25

विश्वासभाजन

ह0/-

(विनोद कुमार पाठक)

ज्ञापांक : 685(2)

/स्वा0, पटना, दिनांक: 02/12/25

प्रतिलिपि: कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना/परियोजना निदेशक, बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति, बिहार, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति, बिहार, पटना/सभी संबंधित अपर निदेशक (मुख्यालय में पदस्थापित)/सभी प्राचार्य, क्षेत्रीय स्वा0 एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, बिहार/सभी क्षेत्रीय मलेरिया पदाधिकारी, दरभंगा, पटना, मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर/सभी प्राचार्य/अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार/दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार/राजकीय तिब्बी महाविद्यालय एवं अस्पताल पटना/राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं अस्पताल पटना/सभी असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार/निदेशक, आई0जी0आई0एम0एस0, शेखपुरा, पटना/लोकनायक जय प्रकाश नारायण हड्डी अस्पताल, राजबंशीनगर, पटना/आई0जी0आई0सी0, पटना/न्यू गार्डिनर रोड अस्पताल, पटना/राजेन्द्र नगर अतिविशिष्ट नेत्र अस्पताल, पटना/मानसिक आरोग्यशाला, कोईलवर, भोजपुर/फिल्ड डिमोन्सट्रेशन सेन्टर, राजगीर/यक्ष्मा प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, दरभंगा एवं पटना/लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना/बिहार रक्त अधिकोष, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना/बिहार रक्त अधिकोष, जयप्रभा अस्पताल, कंकड़बाग, पटना/सभी अधीक्षक/उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल/सदर अस्पताल/गुरुगोविन्द सिंह अस्पताल, पटना सिटी, पटना/संकामक रोग अस्पताल, अगमकुआँ, पटना/लेडि एल्लिगन जनाना अस्पताल, गया/एम0जे0के0 अस्पताल, बेतिया/सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा0स्वा0 केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/रेफरल अस्पताल, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: सभी संबंधित विशेषज्ञ चिकित्सक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि उक्त वांछित प्रतिवेदन/अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने स्तर से भी संबंधित नियंत्री पदाधिकारी से सम्पर्क स्थापित करने की कृपा की जाए।

WfMnK 21/12/25
सरकार के उप सचिव

प्रेषक,

विनोद कुमार पाठक,
सरकार के अवर सचिव ।

सूचक/ई-मेल

सेवा में,

कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना ।
नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना ।
परियोजना निदेशक, बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति, बिहार, पटना ।
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति, बिहार, पटना ।
अपर सचिव, गृह विभाग, (आरक्षी शाखा एवं गृह कारा), बिहार, पटना ।
सभी संबंधित अपर निदेशक (मुख्यालय में पदस्थापित) ।
सभी प्राचार्य, क्षेत्रीय स्वा० एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, बिहार ।
सभी क्षेत्रीय मलेरिया पदाधिकारी, दरभंगा, पटना, मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर ।
सभी प्राचार्य/अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार/दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार/राजकीय तिब्बी महाविद्यालय एवं अस्पताल पटना
राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं अस्पताल पटना ।
सभी असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार ।
निदेशक, लोकनायक जय प्रकाश नारायण हड्डी अस्पताल, राजबंशीनगर,
पटना/आई०जी०आई०सी०, पटना/न्यू गार्डिनर रोड अस्पताल, पटना/राजेन्द्र नगर अतिविशिष्ट
नेत्र अस्पताल, पटना/मानसिक आरोग्यशाला, कोईलवर, भोजपुर/फिल्ड डिमोन्सट्रेशन सेन्टर,
राजगीर/यक्ष्मा प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, दरभंगा एवं पटना/लोक स्वास्थ्य संस्थान,
पटना/बिहार रक्त अधिकोष, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना/बिहार रक्त
अधिकोष, जयप्रभा अस्पताल, कंकड़बाग, पटना ।
अधीक्षक, गुरुगोविन्द सिंह अस्पताल, पटना सिटी, पटना/संकामक रोग अस्पताल, अगमकुआँ,
पटना/लेडि एल्लिन जनाना अस्पताल, गया/एम०जे०के० अस्पताल, बेतिया ।
सभी संबंधित नियंत्री पदाधिकारी, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक 16/9/25

विषय: राज्य के प्रशासनिक हित में राज्यधीन सेवाओं की प्रोन्नति के पद सोपान में तदर्थ एवं पूर्णतः
अस्थायी व्यवस्था के अन्तर्गत राज्य कर्मियों को प्रोन्नति के पदानुक्रम में विहित वेतनमान के साथ
उच्चतर पद का प्रभार देने के संबंध में।

प्रसंग: सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं० 19300/सा०प्र०, दिनांक 13.10.2023
महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की
अधिसूचना सं० 19300/सा०प्र०, दिनांक 13.10.2023 राज्य के प्रशासनिक हित में राज्यधीन सेवाओं की
प्रोन्नति के पद सोपान में तदर्थ एवं पूर्णतः अस्थायी व्यवस्था के अन्तर्गत राज्य कर्मियों को प्रोन्नति के
पदानुक्रम में विहित वेतनमान के साथ उच्चतर पद का प्रभार दिया जाना है ।

02. विदित हो कि विभागीय आदेश सं०-184(3) दिनांक-03.04.2025 से विशेषज्ञ चिकित्सक का
अंतिम वरीयता सूची प्रकाशित की गई है। उक्त वरीयता के आधार पर विशेषज्ञ चिकित्सक को उच्चतर
प्रभार दिया जाना है।

...2...

03. इस संबंध में अलग-अलग जिलों एवं चिकित्सीय संस्थानों में पदस्थापित विशेषज्ञ चिकित्सकों की सूची तैयार की गई है, जो इस पत्र के साथ संलग्न है ।

04. अतः वर्णित स्थिति में अनुरोध है कि उक्त सूची में अंकित विशेषज्ञ चिकित्सकों का विहित प्रपत्र (पत्र के साथ संलग्न) में वांछित सूचनाएँ अंकित करते हुए उनका स्वहस्ताक्षरित सेवा इतिहास सहित वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (विगत पाँच वर्षों का वर्षवार अलग-अलग यथा मार्च 2020 से अद्यतन) पूर्णतः भरते हुए संलग्न सूची में अंकित स्तम्भ-02 में अंकित जिला/संस्थान के सम्मुख स्तम्भ-03 में अंकित निर्धारित तिथि को कार्यालय के किसी जानकार लिपिक के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध कराने की कृपा की जाए। विशेषज्ञ चिकित्सक पदाधिकारी का वांछित कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन सहित वांछित सूचनाएँ ससमय विभाग उपलब्ध नहीं कराए जाने पर संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी को उच्चतर पद का प्रभार नहीं दिया जाएगा और उसकी सारी जिम्मेवारी संबंधित नियंत्री पदाधिकारी एवं कार्यालय की होगी ।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाए ।

अनुलग्नक : यथोक्त ।

विश्वासभाजन
W. N. K. 16/9/25
(विनोद कुमार पाठक)

ज्ञापांक : 550(3) /स्वा0, पटना, दिनांक: 16/9/25
प्रतिलिपि: आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: सभी संबंधित विशेषज्ञ चिकित्सकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
अनुरोध है कि उक्त वांछित प्रतिवेदन/अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने स्तर से भी संबंधित नियंत्री पदाधिकारी से सम्पर्क स्थापित करने की कृपा की जाए ।

प्रतिलिपि: श्री अमित कुमार, डाटा एनालिस्ट, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अनुरोध है कि उक्त के क्रम में सभी नियंत्री पदाधिकारियों से सम्पर्क स्थापित करते हुए यथा वांछित अभिलेख ससमय उपलब्ध कराने हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई की जाए ।

प्रतिलिपि: श्री दिलिप कुमार, कार्यालय परिचारी, प्रशाखा-03 को सूचनार्थ एवं निदेशित है कि निर्धारित तिथि को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपस्थित होकर जिला/संस्थान से प्राप्त वांछित प्रतिवेदन को मिलान करते हुए प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे ।

W. N. K. 16/9/25
सरकार के अवर सचिव